न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश सहारण, आर.ए.एस.

प्र.सं. 89/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/37

1. सतनाम सिंह पुत्र शीतल सिंह जाति जटसिक्ख निवासी वार्ड नं. 21 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ (विलोपित)
2. तहसीलदार अनूपगढ़

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बलराज सिंह पुत्र दौलतसिंह
2. सुजाता पुत्री दौलत सिंह
3. ममता उर्फ माधवी पुत्री दौलत सिंह
4. वनीता सिंह पुत्री दौलत सिंह
5. मनीषा पत्नी युवराज सिंह

जाति यादव निवासीगण वार्ड नं. 12 पुलिसथाने के पीछे, अनूपगढ़

6. दिवांशी पुत्री युवराज सिंह नाबालिक जरिए कुदरतवली एवं माता मनीषा पत्नी युवराज सिंह जाति यादव निवासी वार्ड नं. 12 पुलिस थाने के पीछे अनूपगढ़
7. कमला पत्नी सुरेन्द्र कुमार
8. विषयंत पुत्री पुष्पेन्द्र कुमार
9. अंशु पुत्री सुरेन्द्र कुमार
10. अर्चना पुत्री सुरेन्द्र कुमार

जाति यादव निवासीगण मकान नं. 03 वैटनरी कॉलेज रोड़ बीकानेर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954

उपस्थिति :—

1. तहसीलदार अनूपगढ़ – प्रार्थी
2. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 6
3. श्री योगेन्द्र कुमार, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 7 से 10

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 05.9.24

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. प्रार्थी सतनाम सिंह पुत्र शीतल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 21 अनूपगढ़ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 व 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील अनूपगढ़ के चक 16 ए के मु.नं. 299/447 का किला नं. 1 का 10 बिस्वा, 2 का 19 बिस्वा, 3 सालम, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 8 बिस्वा, 6 का 18 बिस्वा, 7 का 8 बिस्वा, 8 का 15 बिस्वा, 9 का 10 बिस्वा, 10 का 17 बिस्वा, 11 सालम, 12 सालम, 13 का 1 बिस्वा, 14 का 18 बिस्वा, 15 सालम, 16 का 18 बिस्वा, 17 का 10 बिस्वा, 18 का 13 बिस्वा, 19 का 8 बिस्वा, 19 का 15 बिस्वा, 20 का 15 बिस्वा, 21 का 8 बिस्वा कुल 14 बीघा 1 बिस्वा भूमि सहायक आयुक्त उपनिवेशन राव नहर योजना घड़साना मुकाम अनूपगढ़ से जरिए मिसल नं. 20, 1980 विशेष आवंटन निर्णय दिनांक 24.09.1980 व दिनांक 06.03.1981 को विशेष आवंटन में दोलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण मनोहर सिंह ने आवंटन करवा ली। आंवटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार का देहान्त हो चुका है। आंवटी दौलत सिंह के अप्रार्थी संख्या 1 ता 6, विधिक वारिस हैं तथा आंवटी सुरेन्द्र कुमार के अप्रार्थी संख्या 7 ता 10 विधिक वारिस है। जिन्हें बतौर अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। विशेष आवंटन में एकबा आंवटन करवाने के लिए आंवटन नियम 13ए विशेष आंवटन नियम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

20.02.1980 को प्रभाव में आया था। इस नियम के अनुसार ऐसी भूमि ऐसे व्यक्तियों को आंवटित की जा सकेगी जो इन नियमों के नियम 7 के उपनियम (1) में दी गई प्राथमिकता के लिए ऐसे आंवटन के लिए पात्र हैं। इस नियम 7 में आंवटन के लिए जो प्राथमिकता का क्रम बताया गया है। उसमें अस्थायी काश्तकार, पट्टाधारक के अलावा अन्य सभी क्रम के व्यक्तियों के मुख्यतः भूमिहीन व्यक्ति भी होना जरूरी था। इस अधिनियम में भूमिहीन व्यक्ति के 2(8) में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के तहत आंवटन करवाने वाले व्यक्ति का राजस्थान का निवासी होने के साथ–साथ ऐसे व्यक्तियों को पेशे से सद्भावी कृषक या सद्भाविक कृषि श्रमिक होना जरूरी है तथा ऐसे व्यक्ति जिसकी आय का मुख्य स्त्रोत कृषि है तथा भारत में कहीं भी भूमि धारित नहीं करता या 25 बीघा से कम भूमि धारित करता है भी शामिल है। इस प्रकार सद्भाविक कृषक या मजदूर तथा ऐसे व्यक्ति के पास यदि 25 बीघा से कम भूमि होने से ही भूमिहीन व्यक्ति समझा जाएगा आंवटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार पेशे से सद्भाविक कृषक नहीं थे, जबकि इस नियम के तहत आंवटन करवाने वाले व्यक्ति का सद्भाविक कृषक होना जरूरी था। जब आंवटी दौलत सिंह, सुरेन्द्र कुमार सद्भाविक कृषक नहीं थे तो वे भूमिहीन व्यक्ति नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में आंवटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार ने तहसीलदार अनूपगढ़ से भूमिहीन काश्तकार का गलत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। चूंकि आंवटी सुरेन्द्र कुमार सन 1980 से 84 तक नगरपालिका अनूपगढ़ का चैयरमेन था। चैयरमेन होते हुए इस तथ्य को अपने आवेदन पत्र व उसके साथ शपथ पत्र में छिपाया है तथा आवेदन पत्र में स्वयं को नियमों के खंड 5, 13 व 17 में यथा परिभाषित व्यक्ति बताया है, जबकि आवंटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार नियम 2 के खंड 5, 13 व 17 में यथा परिभाषित व्यक्ति नहीं थे। नियम 2 के खण्ड 13 के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति में सद्भाविक कृषि पेशा व्यक्ति, सदभाविक कृषि श्रमिक होना जरूरी है तथा ऐसे व्यक्ति के पास 25 बीघा भूमि से कम भूमि होना जरूरी हैं। आवंटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र सिंह के पास 25 बीघा भूमि से ज्यादा भूमि थी इसलिए आवंटी भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आते। इसके बावजूद आवंटी ने अपने आपको नियम 2 के खण्ड 13 में परिभाषित भूमिहीन व्यक्ति बताया है तथा तहसीलदार से भूमिहीन व्यक्ति का गलत प्रमाण पत्र तैयार करवाकर पेश किया हैं। इसके अलावा आवंटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार व इसके पिता के पास प्रार्थना पत्र में बताई गई भूमि के अलावा भी भूमि थी, जिसको भी इन्होंने शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र में भी छिपाया है। इसके अलावा विवादित भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित थी। जिसका विशेष आवंटन ही नहीं किया जा सकता था, ऐसी स्थिति में आंवटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार का आंवटन रद्द किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार के नाम से तहसील अनूपगढ़ के चक 16ए मु.नं. 299/447 की कुल 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि का विशेष आवंटन जरिये मिसल नम्बर 68/1981 निर्णय दिनांक 06.03.1981 को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाने के लिए निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2 से 6(जरिए मु.आ. अप्रार्थी सं. 1) जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए तथा अप्रार्थी सं. 8, 7–9–10(जरिए मु.आ. अप्रार्थी सं. 8) जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात पेश किये गये। क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण पत्रावली पहले जिला कलक्टर न्यायालय अनूपगढ़ तत्पश्चात जिला कलक्टर महो. अनूपगढ़ के आदेशों की पालना में हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज की जाकर उभयपक्ष को तलब किया गया। इस दौरान दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

25.02.2021 को तहसीलदार अनूपगढ़ के आवेदन पर उन्हें बतौर प्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया। तथा दिनांक 12.10.2023 को प्रार्थी सतनाम सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र विड्रो हेतु निवेदन किये जाने के आधार पर प्रार्थी सतनाम सिंह की हद तक प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप करते हुए प्रार्थी सतनाम सिंह का नाम हटाते हुए शीर्षक में प्रार्थी के नाम के आगे विलोपित अंकित करने के आदेश पारित किये गये।

3. अप्रार्थी सं. 1(जो कि अप्रार्थी सं. 2 से 6 की ओर से मुखत्यारे आम नियुक्त है) तथा अप्रार्थी सं. 7 से 10 जरिए अप्रार्थी सं. 8 (अप्रार्थी सं. 7–9–10 के मुखत्यारेआम) जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनोहर सिंह को आंवटित होने के तथ्य रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार है तथ्य रिकॉर्ड अनुसार दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार का देहान्त होना स्वीकार है। दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार हम अप्रार्थीगण के पति/पिता आंवटन नियम उपनियम के तहत ही कृषि भूमि का आंवटन करवाया गया जो किसी भी दृष्टि से गलत नहीं था। पात्रता के आधार पर आंवटन किया गया जो सही आंवटन है। उपरोक्त भूमि वर्ष 1980–81 में विशेष आवंटन के तहत आंवटित की गई थी। प्रार्थी परिवार की आर्थिक स्थिति एवं स्टेटस वर्तमान स्टेटस से भिन्न था। चूंकि आंवटन करवाने वाला व्यक्ति 20 वर्ष से राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक शर्त थी । विशेष आंवटन के नियम 2 के खंड 5, 13 व 17 के तहत पात्रता रखते थे व विशेष आंवटन का पात्र मानते हुए ही आंवटन अधिकारी द्वारा विशेष आंवटन किया गया था। जिसमें कोई भी गलत प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया। तत्कालीन परिस्थितियों के तहत एवं पात्रता के आधार पर आंवटन किया गया था जो सही एवं उचित था। विशेष आंवटन की समस्त शर्तों के तहत आंवटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार को आंवटित किया गया था। जिसमें नियम 2 के तहत खंड 13 के प्रावधान लागू नहीं होते। तथाकथित प्रार्थी ने इस मद में जो उक्त नियमों को परिभाषित किया गया है व हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते और न ही किसी प्रकार से किसी तथ्यों को छुपाया गया है तथा ना ही प्रसंगत भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित थी और विशेष आंवटन में ही नियमानुसार आंवटन किया गया है। मूल आंवटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार 20 वर्षों से राजस्थान के मूल निवासी होने के कारण विशेष आंवटन करवाने के पात्र थे तथा विशेष आंवटन नियमों के तहत ही सक्षम अधिकारी द्वारा समस्त जांच कर आंवटन किया गया था। जिसके खातेदारी अधिकार भी मूल आंवटियों के नाम प्रदत्त की गई एवं 40 वर्षों के उपरांत आंवटन आदेश को चुनौति दी गई जो विधि विपरीत है। प्रार्थी ने अधिकाररहित झुठी शिकायत प्रस्तुत की है। अप्रार्थी संख्या 02 लिखित बहस प्रस्तुत की उपरोक्त दोनों प्रकरण आंवटन को रद्द करने के शिकायत प्रार्थना पत्र है। सुविधा की दृष्टि से दोनों में ही बलराज सिंह पक्षकार मुकदमा है। प्रार्थी सतनाम सिंह द्वारा उक्त दोनों शिकायतें प्रार्थना पत्र आंवटन नियम 7 के प्रकाश में एवं दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार सद्भाविक कृषक ना होने के आधार पर शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया है। शिकायत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया है। इसी कृषि भूमि के संबंध में श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के एक प्रकरण धारा 21 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत पेश किया हुआ है। ऐसी स्थिति में हस्तगत दोनों प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। मूल आंवटी द्वारा कोई मिथ्या घोषण नहीं की गई एवं ना ही कोई तथ्य छुपाया गया है, वर्ष 1980–81 में विशेष आंवटन के तहत जो जमीन आंवटित की गई वो पात्रता के आधार पर एवं आंवटन नियमों के तहत ही विशेष आंवटन के पात्र मानते हुए ही आंवटन अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर नियम 11,14 लागू नहीं होते एवं प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी सतनाम सिंह द्वारा व्यक्तिगत रंजिश के कारण यह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

शिकायत प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि में आंवटन के बाद से ही कब्जा चला आ रहा है व खातेदारी अधिकारी भी प्राप्त हो चुके हैं। किसी भी स्थिति में आंवटन निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। तहसीलदार अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन संबंधित रिकार्ड पटवारी रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में विवादित भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज हैं। भूमि पर कब्जा अप्रार्थीगण का हैं। भूमि के आवंटन संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं। अधिवक्तागण अप्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से बहस की तथा अधिवक्तागण द्वारा पृथक–पृथक लिखित बहस पेश की गयी।

5. लिखित बहस का गहनता से परिशीलन किया। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा लिखित बहस के द्वारा निवेदन किया गया हैं कि कृषि भूमि में आवंटन के बाद से ही कब्जा चला आ रहा हैं खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। शिकायतकर्ता द्वारा उपखंड अधिकारी अनूपगढ़ की जांच रिपोर्ट 01.02.2018 प्रस्तुत की गई है जो हम अप्रार्थीगण पर प्रभावी नहीं है। उक्त जांच रिपोर्ट में ना तो हमें सुना गया और ना ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, उक्त जांच रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016 (2) पेज 813 पर है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रतिरक्षा व दस्तावेजों पर विचार किए बिना आदेश पारित किया जो प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 01.02.2018 कोई प्रभाव नहीं रखती है। शिकायतकर्ता द्वारा यह आक्षेप लगाया है कि कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किया जा रहा है, उक्त आक्षेप के आधार पर आंवटन निरस्त किया जाना उचित नहीं है। वर्णित कृषि भूमि पर कृषि कार्य होता है जिसकी गिरदावरी थी हमारे पास है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा एक निर्णय में यह दर्ज किया है कि सद्भावी कृषक बाबत् राजपत्र में प्रकाशन में 15.07.1993 को हुआ है एवं संशोधन 15.07.1993 को आया है। द्वारा यह माना कि 1995 के नियम 13 ए में सन् 1992 में सद्भावी कृषक होना आवश्यक नहीं था एवं आंवटन निरस्त नहीं किया जा सकता। उक्त न्यायिक दृष्टांत आरबीआई 2002 पेज 103 में प्रकाशित किया गया है। आरआरटी 2001 (2) पेज 926 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किए गए कि उम्र के बार में गलत घोषणा कर दी गई तो आंवटन निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। खातेदारी मिलने के बाद कृषि भूमि को विक्रय कर दी इतनी लंबी अवधि के बाद आंवटन को निरस्त करने से न्याय का हनन है। उक्त कानूनी नजीरों के पक्ष में प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। आरआरटी 2003 (2) पेज 921 में सरकारी कर्मचारी को आंवटन हुआ था खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद नियम 14 (4) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते व आंवटन निरस्त करना अन्याय संगत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्याय निर्णय आरबीआई 1995 (2) में यह माना है कि खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के पश्चात् नियम 14(4) प्रभावी नहीं है एवं आंवटन निरस्त नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा आरआरटी 2016 (2) पेज 1116 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किए कि 1975 के नियम के तहत अगर किसी व्यक्ति ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर आंवटन करवाया है तो आंवटन नियम 21 के तहत कार्यवाही हो सकती है। नियम 11,14 के तहत आंवटन निरस्त नहीं किया जा सकता। इसी परिपेक्ष्य में डीएनजे 2016(2) पेज 732 एवं आरआरडी 2016 पेज 615 भी लागू है। आवंटन अधिकारी द्वारा नियमों तहत पात्र मानते हुए आवंटन किया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवंटन निरस्त किए जाने योग्य नहीं है। मूल आंवटी सुरेन्द्र कुमार 1982 से 1986 तक अध्यक्ष नगरपालिका रहे हैं। वह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

आंवटन उससे पूर्व का है, वरवक्त आंवटन समस्त पात्रता को मध्यनजर रखते हुए आंवटन किया गया जो वैध व विधिसंगत आंवटन है। शिकायत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6. वकील अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि शिकायतकर्ता ने आंवटी का सद्भाविक कृषक नहीं होने का बिन्दु उठाया गया है। इस संबंध में निवेदन है कि सद्भाविक कृषक वही व्यक्ति है जिसका प्राथमिक स्त्रोत कृषि है, चूंकि आंवटी ने अपने विशेष आंवटन प्रार्थना पत्र में स्वयं द्वारा धारित एवं पिता की भूमि में अपना हिस्सा वर्णित किया है जिससे स्पष्ट प्रमाणित है कि आंवटी सद्भाविक कृषक थे जो कृषि भूमि काश्त व कृषि कार्य करते थे और उनकी आय का स्त्रोत कृषि था, इसलिए शिकायतकर्ता की शिकायत निराधार है। इसके अलावा अप्रार्थी यह निवेदन करता है कि माननीय राजस्व मंडल द्वारा आरआरडी 2002 पेज संख्या 108 में यह अभी निर्धारित किया है कि राजस्थान उपनिवेशन (ई.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आंवटन एवं विक्रय) नियम 1975 नियम 13 ए विशेष आवंटन द्वारा विक्रय नियम में सद्भावी कृषक दिनांक 15.07.1993 को संशोधन द्वारा जोड़ गया है और यह नियम तुरंत प्रभाव से प्रभाव में आना प्रवाधित किया गया है। ऐसी स्थिति में यह नियम भूतलक्षी प्रभाव नहीं डाल सकता है। ऐसी स्थिति में 14.07.1993 तक हुए आंवटन के संबंध में सद्भाविक कृषक का नियम लागू नहीं होता है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में आंवटन वर्ष 1981 का है और 1981 में सद्भाविक कृषक प्रमाणित किया जाना कतई आवश्यक नहीं था। शिकायतकर्ता ने सुरेन्द्र सिंह का चैयरमेन होना बताया है जबकि विशेष आंवटन में बाद वर्ष 1982 में सुरेन्द्र सिंह नगरपालिका चैयरमैन बने थे। विशेष आंवटन के बाद सुरेन्द्र सिंह नगरपालिका चैयरमैन बनने के आधार पर आंवटन रद्द करवाना कतई न्यायसंगत नहीं है या विधिक सम्मत नहीं है। नगरपालिका का चैयरमेन कोई व्यवसाय या आय का स्त्रोत नहीं है। विशेष आंवटन में ऐसा कोई भी व्यक्ति भूमि आंवटन करवा सकता था जो सीलिंग सीमा से कम भूमि धारित करता था। चूंकि पूर्व में धारित भूमि एवं विशेष आंवटन द्वारा आंवटित भूमि को मिलाकर भी आंवटी सीलिंग सीमा से कम भूमि धारित करते हैं। इसलिए शिकायत में वर्णित यह तथ्य गलत व निराधार है। आंवटी राजस्थान के मूल निवासी व सद्भावी है जो कृषि कार्य से आजीविका निर्वाह करते थे जिसकी पुष्टि पत्रावली से उपलब्ध रिपोर्ट रिपोर्ट, दस्तावेजों से हो रही है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि आंवटियों की आय का स्त्रोत कृषि नहीं था। आंवटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार द्वारा विशेष आंवटन हेतु किसी तथ्य को नहीं छिपाया आंवटन विधिक नियमानुसार है। शिकायतकर्ता ने भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित होने की गलत व निराधार शिकायत की है। राजस्थान उपनिवेशन (पौंग बांध विस्थापितों को इ.गा.न. क्षेत्र में आंवटन) नियम 1975 के नियम 3 के तहत गजट में आरक्षित नहीं हुई है और ना ही भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए भूमि आरक्षित होने का कोई गजट पेश किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित नहीं थी। विशेष आंवटन के तहत भूमि आंवटित हुए 40 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है। भूमि की समस्त किश्ते व बकाया अदा की जा चुकी है तथा भूमि खातेधारी है जो आंवटियों एवं उनके देहान्त के उपरांत उनके वारिसों के धारणाधिकार में हैं। इसलिए आंवटन के 40 वर्ष बाद खातेदारी भूमि का निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने 1994 ए.आई.आर. पेज 1128 बृजलाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य में अभिनिर्धारित किया आंवटन के 20 वर्ष बाद भूमि आंवटन निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है एवं 1999 डीएनजे 569 राजस्थान उच्च न्यायालय जसराज बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य में अभिनिर्धारित किया है कि भूमि 1971 में आंवटित हुई आंवटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

सरकारी अध्यापक था। सरकारी कर्मचारी को भूमिहीन नहीं माने जाने का प्रावधान वर्ष 1982 में लाया गया जो भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है। 16 वर्ष वाद आंवटन निरस्त किया गया तथ्य का खुलासा ना करना विवरण में नही आता है। अनुचित विलंब के बाद आंवटन निरस्त करना न्यायसंगत नही है। आंवटी निरस्त का आदेश अपास्त किया एवं आंवटी का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। सुरेन्द्र कुमार व दौलत सिंह विशेष आंवटन के तहत भूमि आंवटन के विधिक पात्र थे और विशेष आंवटन में विधिवत भूमि का आंवटन किया गया है, विशेष आंवटन हेतु आवेदन पत्र में गलत सूचना व कोई तथ्य नहीं छुपाए गए हैं। इसलिए आंवटन निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

7. तहसीलदार अनूपगढ की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2024/1702 दिनांक 11.06.2024 की रिपोर्ट अनुसार भूमि आवंटन संबंधित रिकार्ड पटवारी रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में भूमि जमाबंदी अनुसार दौलत सिंह के वारिसान एवं सुरेन्द्र सिंह के वारिसान व अन्य के नाम से 9 खातों में दर्ज हैं। भूमि पर दौलत सिंह–सुरेन्द्र सिंह ई.सं. 7 दिनांक 20.09.1989 से पटवार रिकार्ड में दर्ज था जो कि आज दिनांक तक उक्त रकबे में इनके जायज वारिसान के कब्जा में व देखरेख में हैं।

8. प्रार्थी सतनाम सिंह पुत्र शीतल सिंह जाति जटरिक्ख निवासी वार्ड नं. 21 पुरान अनूपगढ द्वारा दिनांक 12.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का मध्य प्लॉट का विवाद चल रहा था। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 नियम 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत पेश किया जिसके चलते प्रार्थी उक्त प्रकरण में पेश किया गया था जिसमें अब प्रार्थी का अप्रार्थीगण से पंच पंचायत की समझाइश से एवं लोक अदालत की प्रेरणा से राजीनामा हो गया है। जिससे हम पक्षकारन सहमत हैं। अब प्रार्थी उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। मुकदमा चलने से आपसी मुकदमा विवाद बढ़ेगा जिससे समय व धन की भी बर्बादी होना इसलिए सद्भाविक रूप से पक्षकारान के बीच में आपस में राजीनामा हो गया।

9. पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया गया। दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार का पेशा कृषि था एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता के तहत सद्भाविक कृषक वह व्यक्ति है जिसकी प्राथमिक स्त्रोत कृषि है चूंकि आवंटी ने अपने विशेष आंवटन प्रार्थना पत्र में स्वयं द्वारा धारित एवं पिता की भूमि में अपना हिस्सा वर्णित किया है जिससे स्पष्ट प्रमाणित है कि आंवटी सद्भाविक कृषक थे जो कृषि भूमि काश्त व कृषि कार्य करते थे और जिनकी आय का स्त्रोत कृषि था (राजस्थान उपनिवेशन इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आंवटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13ए विशेष आंवटन द्वारा विक्रय नियम में सद्भाविक कृषक दिनांक 15.07.1993 को संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और यह नियम तुरंत प्रभाव में आना प्रभावित किया गया सुरेन्द्र सिंह नगरपालिका चैयरमैन बनने के आधार पर आंवटन निरस्त करना कतई न्यायसंगत विधिक संगत नहीं है। नगरपालिका का चैयरमैन कोई व्यवसाय या आय स्त्रोत नहीं है धारित भूमि एवं विशेष आंवटन द्वारा आवंटित भूमि मिलाकर भी आंवटी सीलिंग सीमा से कम भूमि धारित करते हैं आंवटी राजस्थान के मूल निवासी एवं सद्भावी कृषि कार्य से आजीविका निर्वाह करते थे जिसकी पूष्टि उपलब्ध रिपोर्ट व दस्तावेजों से हो चुकी है पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि आंवटी की आय का स्त्रोत कृषि नहीं था।

10. भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित होने की गलत व निराधार है राजस्थान उपनिवेशन (पौंग बांध विस्थापितों को इ.गा.न.प. क्षेत्र में आंवटन नियम 1975 के नियम 3 के तहत गजट में आरक्षित नहीं हुई थी और ना ही भूमि में पौंग बांध विस्थापितों के लिए भूमि का आरक्षित होने का कोई गजट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

पेश किया गया है। भूमि आंवटन हुए 43 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है भूमि की समस्त किश्तें व बकाया अदा की जा चुकी है तथा भूमि खातेदारी है प्रथम तो चैयरमेन एक निर्वाचित पद है। यह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है। आंवटन 24.09.1980 है उस समय सरकारी कर्मचारी को भी आंवटन हो सकता था। इस हेतु नियमों में संशोधन 15.07.1993 को आया। 1980 के आंवटन पर लागू नहीं होता। आरबीआई 2002 पेज संख्या 103 प्रभावशील नहीं है। सुरेन्द्र सिंह का चैयरमेन होने से सरकारी कर्मचारी माना भी नहीं जा सकता।

11. खातेदारी प्राप्त होने भूमि का हस्तांतरण होने से इस अवस्था में आंवटन निरस्त करना न्याय का हनन होगा। स्वयं शिकायतकर्ता ने इसे समझते हुए शिकायत प्रार्थना पत्र विड्रा कर लिया है। तहसीलदार द्वारा भी ऐसा कोई पक्षकारान के विरूद्ध नहीं बताया है जिससे आवंटित रकबा निरस्त किया जा सके। अप्रार्थीगण के नाम से चक 11 पी में भी कृषि भूमि है। इससे भी यह कृषक पेशा साबित है। तमाम तथ्यों के विचारण से निष्कर्षतः यह पाया गया हैं कि भूमि का आवंटन विधिसम्मत किया गया हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है तथा आवंटियों को किया गया आवंटन दिनांक 24.09.1980 व 06.03.1981 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद तरतीव तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 5/9/24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
R.A.S
अति. जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner